

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

प्रकरण संख्या :-10/26

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
<p>कोगटा फाईनेशियल इण्डिया लिमिटेड प्रथम मंजिल, जशोदा टॉवर, आखलिया चौराहा, जोधपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री राहुल सिंह राठोड़</p>		<ul style="list-style-type: none"> • लाभुचन्द खत्री पुत्र देवी चन्द खत्री खत्रीयों का वांस, सेतरावा, तहसील वालेसर, जिला जोधपुर • भुमिका खत्री पत्नी लम्पु चन्द खत्री खत्रीयों का वांस, सेतरावा, तहसील वालेसर, जिला जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक :-09.03.2026

1-अंकुर आनंद शर्मा अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण लाभुचन्द खत्री पुत्र देवी चन्द खत्री व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रुपये 18,89,916/-मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण लाभुचन्द खत्री पुत्र देवी चन्द खत्री की जायदाद पट्टा नम्बर 125, मिसल नम्बर 101, बुक नम्बर 02, ग्राम पंचायत सेतरावा, पंचायत समिति शेरगढ़, जिला जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 3600 वर्गफिट को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में

रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना प्रार्थी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 04.12.2025 तक 20,07,232/-



Signature valid

Digitally signed by Govav Agrawal
 Designation: Collector & District
 Magistrate
 Date: 2026.03.09 18:34:39 IST
 Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
 20934008



भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 18,89,916/-मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 04.12.2025 तक 20,07,232/- वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटीइन्ड्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद लाभुचन्द खत्री पुत्र देवी चन्द खत्री की जायदाद पट्टा नम्बर 125, मिसल नम्बर 101, बुक नम्बर 02, ग्राम पंचायत सेतरावा, पंचायत समिति शेरगढ़, जिला जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 3600 वर्गफिट (120 वर्ग मीटर) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित



आदेश आज दिनांक 09.03.2026 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

(आदेश) श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर
जोधपुर (राज.)
दिनांक 09.03.2026

दिनांक

श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2026.03.09 18:34:39 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20934008